


अन्तर्गत जरा ३ अगस्त २०१६ व भूमिका अधिकारी
नौजान - अपार राहस्यल महावन(मथुरा)

आदेश

उत्तर प्रदेश जमीदारी विभाग एवं भूमि व्यवस्था अधिकारी को धारा 143 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दीवान सिंह पुत्र वेदराम निवासी नगला सुखदेव लाल अकोस तहसील महावन अध्यक्ष श्रीमती मन्त्रादेवी समाज उत्थान एवं शैक्षणिक समिति ग्राम सुखदेव बुजे भाग अजील तहसील महावन के द्वारा दिनांक 11-5-2010 को प्रार्थना पत्र द्वारा द्वारा के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्रामी भौजा अकोस वागर के खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1495मि० रकवा 405 हैं लगान 14.00रु० व खाता संख्या 874 ख.स. 1500/0.623 हैं लगान 17.25रु० व खाता संख्या 345 खसरा संख्या 1501/0.186 हैं लगान 9.20रु० कुल तीन किता कुल रकवा 1.214 हैं श्रीमती मन्त्रादेवी समाज उत्थान एवं शैक्षणिक समिति ग्राम सुखदेव बुजे भाग अकोस अध्यक्ष दीवान सिंह पुत्र वेदराम निवासी नगला सुखदेव भाग अकोस श्रीणी 1-क संक्षमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कामजात है। यह कि उपरोक्त भूमि में काफी क्षेत्रफल पर आवादी निर्माण हो चुका है तथा विधालय भवन भी तैयार हो चुका है। यह कि उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह कि उक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्त्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अन्त में प्रार्थी ने अनुरोध है कि उक्त भूमि को आवादी घोषित किया जावे।

प्रश्नगत प्रकारण की जांच नाराय तहसीलदार, राया रो कराई गई। नाराय तहसीलदार ने अपनी जांच आख्या दिनांक 15-5-2010 के माध्यम से अग्राम रकारा है कि ग्रामी भौजा अकोस वागर के खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1495मि० रकवा 405 हैं लगान 14.00रु० व खाता संख्या 874 ख.स. 1500/0.623 हैं लगान 17.25रु० व खाता संख्या 345 खसरा संख्या 1501/0.186 हैं लगान 9.20रु० कुल तीन किता कुल रकवा 1.214 हैं पर संक्षमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह कि उपरांकत भूमि में 2 एकड़ से अधिक रो कृषि, वागवानी पालन, कुक्कुट पालन, एवं शत्रुघ्न पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। यह कि विधालय की भूमि में मौके पर भूमि है तथा पक्की आवादी बनी है, सभी खातों द्वारा प्रार्थी के हिस्से की आवादी घोषित होने वाली है। उक्त आवादी घोषित की जाने वाली भूमि पर कोई किसी प्रकार का विकास नहीं बढ़ाया जाता है। (पुष्टि हेतु नकल खतीनी संग्रह है) अन्त में उपरोक्त भूमि की आवादी घोषित किरा जमाने हेतु जाच आख्या सरकुंति सहित प्रेक्षित की गई।


अतः प्रार्थी के स्वयं का शपथ पत्र द्वारा सहखातेदारी का शपथ पत्र एवं अन्तर्गत तहसीलदार, राया की डका संस्तुति आख्या दिनांक 15.5.10 के आधार पर उम्रोजादिए एवं भूमिका दी धारा 143 के अन्तर्गत भौजा अकोस वागर के खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1495मि० रकवा 405 हैं लगान 14.00रु० व खाता संख्या 874 ख.स. 1500/0.623 हैं लगान 17.25रु० व खाता संख्या 345 खसरा संख्या 1501/0.186 हैं लगान 9.20रु० कुल तीन किता कुल रकवा 1.214 को आवादी इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि नामबाट भू-राजस्व उत्पाद घोषित कर दिया जावे। तथा 6 नाह तक आवादी विकसित न करने पर यह उदाहरण स्पृति निरस्त हो जाएगी। यह अविश्यक कार्यवाही पत्राबली दाखिल दण्डने की जाएगी।


(रामसिंह गोतम)

उप जिलाधिकारी, नौजान

प्रतिलिपि— 1— तहसीलदार, महावन को दो प्रतिलिपि इस जिलेव के सभी के द्वारा द्वारा दुष्कर एक प्रति वापस भेजी जाय।

2— उप नियन्धक महावन को दो प्रतिलिपि इसके द्वारा द्वारा दुष्कर एक प्रति वापस भेजी जाय।


दीप्ति मन्त्रादेवी समाजात्मक एवं शैक्षणिक एवं विद्यालय अध्यक्ष श्रीमती रामसिंह